6.7.2017 पत्रावली पेश हुई। निगरानीकर्त्ता के Ad. को पृथक-2 समय पर रुक-2 कर बार-2 आवाजें लगाई गई लेकिन निगरानीकर्त्ता के Ad. उपस्थित नहीं हुए। अप्रार्थी के Ad. उपस्थित हुए तथा प्रारम्भिक आपत्तियों के प्रार्थना पत्र पर वकील अप्रार्थी को सुना गया। वकील अप्रार्थी ने बहस में कहा है कि निगरानीकर्त्ता किस आदेश को निगरानी के माध्यम से निरस्त करवाना चाहता है, निगरानी के अंतिम पैरा में अंकित नहीं किया है तथा मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निगरानी खारिज की जावे। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि निगरानीकर्त्ता ने निगरानीकृत आदेश की कोई प्रति पेश नहीं की है और न ही ऐसा कोई दस्तावेज पेश किया है, जिससे निगरानीकर्त्ता व्यथित हो। निगरानीकर्त्ता ने निगरानी के पैरा सं० 1 में वर्णित किया है कि "आवेदकगण के नाना मेत राम के नाम से पट्टा जारी नहीं किया गया है और मूल पट्टा आवेदकगण के नाम नहीं है।" अतः ऐसी स्थिति में जब कोई पट्टा अस्तित्व में ही नहीं है तो निगरानी के माध्यम से ऐसे पट्टे को निरस्त कराने के लिए जो निगरानी पेश की गई है, वह सारहीन है। अतः प्रारम्भिक आपत्तियों का प्रार्थना पत्र दिनांक 16.2.17 स्वीकार किया जाता है तथा निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है। आदेशिका की प्रति ग्राम पंचायत को भेजी जावे। पत्रावली निर्णित दर्ज कर, नम्बर से कम की जाकर ...

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

... के Ad. उपस्थित नहीं हुए। अप्रार्थी के Ad. उपस्थित हुए तथा प्रारम्भिक आपत्तियों के प्रार्थना पत्र पर वकील अप्रार्थी को सुना गया। वकील अप्रार्थी ने बहस में कहा है कि निगरानीकर्ता किस आदेश को निगरानी के माध्यम से निरस्त करवाना चाहता है, निगरानी के अंतिम पैरा में अंकित नहीं किया है तथा मियाद अधि० का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निगरानी खारिज की जावे। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि निगरानीकर्ता ने निगरानीकृत आदेश की कोई प्रति पेश नहीं की है और न ही ऐसा कोई दस्तावेज पेश किया है, जिससे निगरानीकर्ता व्यथित हो। निगरानीकर्ता ने निगरानी के पैरा सं० 2 में वर्णित किया है कि "आवेदकगण के नाना भेत राम के नाम से पट्टा जारी नहीं किया गया है और मूल पट्टा आवेदकगण के नाम नहीं है।" अतः ऐसी स्थिति में जब कोई पट्टा अस्तित्व में ही नहीं है तो निगरानी के माध्यम से ऐसे पट्टे को निरस्त कराने के लिए जो निगरानी पेश की गई है, वह सारहीन है। अतः प्रारम्भिक आपत्तियों का प्रार्थना पत्र दिनांक 16.2.17 स्वीकार किया जाता है तथा निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है। आदेशिका की प्रति ग्राम पंचायत को भेजी जावे। पत्रावली निर्णित घोषित कर, नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील अभिलेखागार में जमा कराई जावे। आदेश सुनाया गया।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

4-7-2011-2,00,